No. PLG(A)3-3/96 dated 5-4- 1997 as required under ause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Sovernment of Himachal Pradesh Economics and Statistics Department

No.PLG-(A)3-3/96 Dated Shimla-2,

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to 309 of the Constitution of India, the Himachal Pradesh is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Chowkidar (Class-IV, Non-Gazetted), in the Economics and Statistics Department, as per Annexure"A" attached to this Notification namely:-

Short title Commencement

- 1. (1)These Rules may be called the Himachal Pradesh, Economics and Department, Chowkidar (Class-IV, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997.
 - (2) These Rules shall come into force from the date of Publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Repeal and

- 2. (1) The Himachal Pradesh Directorate of Economics and Statistics Subordinate Class-IV Service Recruitment and Promotion and conditions of Service Rules, 1972 notified vide this Department Notification No.9-11/71-Plan (Esstt), .dated 18.07.1972 are hereby repealed to the extent these were applicable to the post of Chowkidar.
 - (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(1) shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By Order

Financal Commissioner-cum-Secy.(Plg.) to the Govt. of Himachal Pradesh. Dated Shimla-2, the April, 1997

No. As above: Copy forwarded to:-

Secretary(Finance) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.

2. Secretary(Per) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.

Secretary(Law) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2.

the Controller. H.P. Printing & Stationery, Shimla-5 for ication in the Rajpatra.

The Economic Advisor, Himachal Pradesh. Shimla-171001.

The Assistant Legislative Draftsman(Hindi/English), opinion Law Deptt., H.P.; Secretariat, Shimla-171002. Tile.

Jam Sarcellermil Under Secretary(Planning) to the Government of Himachal Pradesh.

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF CHOWKIDAR CLASS-IV (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF ECONOMICS AND STATISTICS, HIMACHAL PRADESH.

with the delication were dealerst

1. Name of the Post:

Chowkidar /

2. Number of Posts: 12(Twelve)

3. Classification: Class-IV(Non-Gazetted)

4. Scale of pay: (Be given in expanded notation) Rs.750-1410 (with a start of Rs:770-30-950-35-1160-40-1320-45-1410) accept to the section of

Variety and antiques

ELICATE EPROPERTY TO

5. Whether Selection. Post or Non-Selection Post:

Non-Selection

6. Age for direct recruitment:

Between 18 years and 35 years 1 de - 11

Provided that the upper age limit for direct recruit will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on achoc or on contract basis:

TO THE STATE OF TH

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under two general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employaes of Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who the happened to be Government Servants before absorption in . uniit Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as a similar to Government servants. This concession will to however, be admissible to such staff of Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/ Autonomous Bodies and who are/ mers finally absorbed in the services of such Corporations/ "Annonous Bodies after initial constitution of the Public ____Corporations/ Autonomous Bodies. -

- (1) Age limit for direct recruitment Merch 1.4 will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/ are advertised for inviting- applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
 - (2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of

7. Minimum Educational a) ESSENTIAL: cations required for direct recruits:

and other qualifi- "Should be Primary Pass from a recognised School /Institution".

> b) DESIRABLE QUALIFICATION: Knowledge of customs, manners and dialects of H.P. and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.

Age: No.

Educational Qualifications: No.

9.Period of Probation, if any :

Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of. recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods:

100% by direct recruitment.

rivan case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades - Fund which promotion/deput. cn/transfer is ou de made :

tr : __part-· · al · remotion . .. tee emist. 2 19 165

Not Applicable

As required under the law. 结。[2] 是 1960 在 《斯·克·鲁克斯·巴·哈

14.Essential requirement for a direct recruit-ment:

A candidate for appointment to any service of post must be :

(a)a citizen of India, or

(b)a subject of Nepal. or:

(c)a subject of Bhutan, or

(d)a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(e)a person of Indian origin who has migrated from Pakistan. Burma, Sri-Lanka, East African Countries of Kenya. Uganda, the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malwa, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to categories (b),(c),(d), and (e) shall be a person whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India:

15.Selection for appointment to bost by direct recruitment:

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if recuriting authority, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the recruiting authority.

16.Reservation:

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Govt. from time to time.

s to Releas

Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so may by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

•संख्याः पीएलर्जी- इर इ3-3/96 तारील शिमला-2.

5 अवल १९९७

अधिस्चना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के मनुन्छेद 309 के परन्तुक छारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग अरते हुए, हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांश्यिकी विभाग में चौकीदार, वर्ग-10 ह अराजपिवतह के पद के लिए इस अधिस्चना से सलंग्न उपबन्ध "अ" के अनुसार निम्नलिखित भर्ती एवं प्रोन्नित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग चौकीबार, वर्ग-10 इसराजपत्रित इ पद के मौर प्रारम्भ भर्ती एवं प्रोन्नित नियम, 1997 है।

> (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने वरी तारील से प्रवृत्त होंगे।

निरसन और व्यावित्तयां

2.(1) इस विधाग की अधिस्चना संख्याः 9-11/71-योजना इस्यापनाइ तारील 18.07.1972 द्वारा अधिमृचित दी डिमाचल प्रदेश डायरेक्टोरेट ऑफ इक्नोमिक्स एण्ड सटैटिस्टिकस डिपॉटमेंट सवोटिनेट क्लास-10 सर्विसन रिकरटमेंट एण्ड प्रमोशन एण्ड सरटेन बन्डीशनस आफ सर्विस रूला, 1972 का एतवडारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है जहां कि ये चौकीदार को लागू हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त नियम-2 ह1 हैके अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति या बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समभी नायेगी ।

> आदेशद्धारा ्रित्ताशुक्त एवं स्वचिव्धामर्थ एवं स्वंदियकीह हिमाचल प्रदेश सरकार

मण्याः

दिनांकः शिमला-2, <u>5-4-1</u>997.

प्रामितिषिः -

मिन इवित इदित इदिमाचल प्रवेश सरकार, शिमला-2.

- 2. सचिव इविधिइ हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
- अ. माचिव, डिमाचल प्रदेश लोक खेवा आयोग, शिमला-2.
- मडालेखाकार श्रमाडिट श्र डिमाचल प्रदेश। श्रिमला-3...
- ियनाकः, मुत्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 की राजफा में प्रकाशनार्थ।
- राहायक विचायी प्रारमकार इंडिन्दी/अंग्रेजी इ. डिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2. ्रीय राजादकार, हिमाचल प्रवेश, शिमला-1.

लाका प्रति।

अवर सचिव इमर्थ एवं सारियकी इ हिमाचल प्रदेश सरकार।

अर्थ एवं सांश्यिकी विभागः हिमाचल प्रदेश में चौकीदार • इ.सराजपत्रित इ. वर्ग-10 के पद के लिये भर्ती एवं प्रोन्नति नियम ।

1. पद का नाम :

2. पदों की संख्याः

3. वर्गीकरणः

ा. वेतनमानः

इविस्तृत रूप में अंकित करें इ

5. चयन पद अथवा अचयन पदः

मीपी भर्ती किये जाने वाले .
व्यक्तियों के लिये आयुः

चौकीदार

12 इबारह ह

वर्ग-10 इमराजपितह

F. 750-1410 97711 770-30-950-

35-1160-40-1320-45-1410

अचयन !

• 18 वर्ष और 35 वर्ष।

परन्तु सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा तबर्थ या संविदा पर नियुक्त किये गये पहले से सरकार की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों सिंहत अभ्याययों को लागू नहीं होगी ।

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अध्यपों इस रूप में नियुक्ति की तारील को अधिक आयु का हो गया हो तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में इट के लिये पान नहीं होगा ।

परन्तु यह और कि अनुस्पित जातियों/अनुस्पित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही पूट दी जा सकेगी जितनी की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुक्रय है.

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों की, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों प्रवायत, निकायों में अगमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारित्व को नहीं दी जायेगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों हारा नियुक्त किये गये थे/किये गये हैं और उने पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अनितम, स्प से अगमेरत किए गए हैं/किए गए थे।

ा मिया मिया के लिये आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद हपदों को, यथास्यिति, आकेट आयोजित करने के विज्ञापित या नियोजनालयों की अधिस्यित किया गया हो। इथ इ अन्यया पुअहित अम्यर्थियों की क्या में सीभी भती के लिये आहे. सीमा और अनुभव भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल की जा संकेगी।

७ सीधी मर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के तिये अपेक्षित न्यनतम शैक्षिक और अन्य अहंताएं ।

इकाइ अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त स्कूल/ संस्थान से प्राथमिक एतर की शिक्षा उतींण की हो।

इ.ज.इ.वान्छनीय अर्हताएं: हिमाचल प्रदेश की रुद्धियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशामो में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता। आय : नहीं

 सीधी मतीं किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहितं आय और शैक्षिक अईताएं प्रोन्ति की दशा में लग् होगी बार नहीं :

शैक्षिक अहंताएं : नहीं

9 परिचीका की अवधि यदि कोई हो:

दों वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनिधिक ऐसी और अवधि के लिये विस्तार किया जा सकेगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें। 100 प्रतिशत सीधी भर्ती डारा।

10. मतीं की पदित मतीं सीधी होगी या प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पहतियों हारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतताः

11. प्रोन्नति प्रतियुवित या लाग् नहीं स्यानान्तरण की दशा में होणियों जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा : १ १ १ १

12.यदि विभागीय प्रोन्नति स्मिति विद्यमान हो, तो 💮 💮 उपकी संस्वना :

लाग् नहीं.

में हिमाचल प्रदेश, लोक ऐंदा

ंग लगा के लिये अपेकाः

 अ. मर्ता करने में जिन परिस्थितियों जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हों । उत्तरीय से परामर्श किया जायेगाः व पार्ज भर्ती किए जाने वालं किसी भेगा या पर पर नियुक्ति के लिये

माययों का निम्नलिखित होना मावश्यक है:. इक इ भारत का नणरिक ≋ख है नेपाल की प्रजा, या

हगह मूटान की प्रजार हा . हमह तिब्बती शरणाधीर जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थाई निवास के आशय से आया हो या

इंड. इ भारतीय मूल का कोई द्यक्ति जिसने, पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों या कीनिया, युगाण्डा, यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तंजानियाइ पहले टांगानीका और जंजीबार इ जांबिया, मालवा, जैयर और इयोपिया से भारत में स्थाई निवास के आह्य से प्रवास किया है।

परन्तु प्रवर्ग इलाइ, इगाइ, इपाइ मोर इड.इ के अभ्यानी ऐसे व्यक्ति होगें जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो । ऐसे अभ्यानी की, जिनके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रवेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राध्वकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रविष्ट किया जा सकेगा, किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का अपेक्षित प्रमाण पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही विया जायेगा ।

सीधी मर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिये चयन, मोक्कि परीक्षा के आधार पर, और यदि, मर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समभे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तरश्याठयक्रम, भर्ती आधिकरण हारा निधारित किया जायेगा।

उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल स्रकार द्वारा स्मय-2 पर अनुस्चित जातियों/अनुस्चित जन जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों हे लिये सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी, किये गये अनुदेशों के, अधीन होगी ।

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह, कारणों को अभिलिखित करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपल-भीं को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

1.5. सीभी मतीं द्वारा पद पर निग्नोक्त के लिये चयनः

TALL .

ंगाधल करने की शाकितः